भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या4213
दिनांक 19.08.2025 को उत्तरार्थ

कॉर्पोरेट निकायों द्वारा गोद लिया गया गाँव

4213. श्री संदिपनराव आसाराम भुमरेः
श्री निलेश ज्ञानदेव लंकेः

क्या **पंचायती राज** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पहल के अंतर्गत कॉर्पोरेट निकायों द्वारा गोद लिए गए गांवों की संख्या कितनी है और महाराष्ट्र में पिछले तीन वर्षों के दौरान इनके कार्यान्वयन की राज्य-वार स्थिति क्या है;

(ख) इन कॉर्पोरेट निकायों द्वारा गाँव गोद लेने के कार्यक्रमों के अंतर्गत कितनी धनराशि आवंटित और उपयोग की गई हैऔर इसके क्या महत्वपूर्ण परिणाम रहे हैं;

(ग) क्या सरकार ने आकांक्षी जिलों में ऐसी पहलों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए एक निगरानी ढांचा स्थापित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सभी क्षेत्रों में कॉर्पोरेट निकायों द्वारा गाँव गोद लेने के कार्यक्रमों के माध्यम से समान विकास सुनिश्चित करने हेतु एक मानकीकृत नीति ढांचा तैयार करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

पंचायती राज राज्य मंत्री

(प्रो.एस.पी.सिंह बघेल)

(क) से (घ) कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) का उद्देश्य, सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं के वितरण में कॉर्पोरेट्स की प्रबंधकीय दक्षता, सर्वोत्तम प्रथाओं (बेस्ट प्रेक्टिसेस), प्रौद्योगिकी और नवाचार का लाभ उठाकर उन्हें देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में भागीदार बनाना है। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए कानूनी ढाँचा कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 135, अधिनियम की अनुसूची VII और कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 के अंतर्गत प्रदान किया गया है।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) एक बोर्ड द्वारा संचालित प्रक्रिया है और कंपनी का बोर्ड अपनी सीएसआर समिति की सिफारिशों के आधार पर कंपनी की सीएसआर गतिविधियों की योजना बनाने, निर्णय लेने, क्रियान्वयन और निगरानी करने के लिए अधिकृत है। बोर्ड को यह सुनिश्चित करना होगा कि स्वीकृत राशि निर्धारित गतिविधि/गतिविधियों पर खर्च की गई है। यदि कोई राशि खर्च नहीं होती है, तो उसे निर्धारित समय सीमा के भीतर अनुसूची VII में निर्दिष्ट निधियों में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। सीएसआर ढांचे के तहत, कंपनियों को स्थानीय क्षेत्र की प्राथमिकताओं और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के बीच संतुलन बनाना होताहै। सरकार कंपनियों को किसी विशेष क्षेत्र या गतिविधि में खर्च करने के लिए कोई निर्देश जारी नहीं करती है।

सीएसआर ढांचा प्रकटीकरण आधारित है और कंपनियों को सीएसआर गतिविधियों का विवरण एमसीए21 रजिस्ट्री में सालाना दर्ज करना आवश्यक है। कंपनियों द्वारा एमसीए21 रजिस्ट्री में दर्ज सीएसआर

से संबंधित सभी डेटा, जिसमें कंपनी-वार, राज्य-वार, जिला-वार, विकास क्षेत्र-वार और कंपनी द्वारा कार्यान्वित परियोजनाएं शामिल हैं, www.csr.gov.in पर सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है।

सीएसआर कानूनी ढांचे के तहत सीएसआर निधि की स्वीकृति/आवंटन का कोई प्रावधान नहीं है। हालाँकि, एमसीए21 रजिस्ट्री में कंपनियों द्वारा की गई फाइलिंग के आधार पर, पिछले तीन वित्तीय वर्षों (वित्त वर्ष) यानी 2021-22 से 2023-24 के लिए भारत में सीएसआर व्यय का राज्यवार विवरण और महाराष्ट्र में सीएसआर व्यय का ज़िलावार विवरण क्रमशः **अनुबंध I और II** में दिया गया है।

***

अनुबंध-I

(दिनांक19.08.2025को उत्तरार्थ लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या4213के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध)

वित्त वर्ष 2021-22से 2023-24तक भारत में राज्यवार सीएसआर व्यय

(राशि करोड़ में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2023-24
1	अंडमान और निकोबार	9.71	2.53	3.03
2	आंध्र प्रदेश	663.50	986.77	1,129.75
3	अरुणाचल प्रदेश	119.42	13.36	39.57
4	असम	406.42	474.96	488.62
5	बिहार	178.97	241.41	260.53
6	चंडीगढ़	51.19	18.44	113.31
7	छत्तीसगढ़	317.70	609.08	422.73
8	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	18.27	23.22	30.17
9	दिल्ली	1,198.50	1,517.07	1,949.95
10	गोवा	45.43	60.91	85.79
11	गुजरात	1,613.18	2,060.02	2,707.54
12	हरियाणा	687.13	720.38	816.95
13	हिमाचल प्रदेश	140.27	141.40	148.59
14	जम्मू और कश्मीर	50.68	72.19	98.54
15	झारखंड	243.95	389.65	414.63
16	कर्नाटक	1,849.82	2,058.73	2,254.88
17	केरल	241.58	362.85	387.91
18	लक्षद्वीप	0.97	0.02	0.36
19	लेह और लद्दाख	14.84	11.72	30.41
20	मध्य प्रदेश	427.48	668.32	600.47
21	महाराष्ट्र	5,407.40	5,705.54	6,065.95
22	मणिपुर	15.62	53.60	83.19
23	मेघालय	19.63	22.94	30.94
24	मिजोरम	6.94	11.01	4.48
25	नागालैंड	12.46	13.57	15.41
26	ओडिशा	752.37	994.82	1,389.39
27	पुडुचेरी	9.31	14.29	32.68
28	पंजाब	185.41	263.51	351.89
29	राजस्थान	713.85	1,122.65	1,145.67
30	सिक्किम	28.24	36.18	41.87
31	तमिलनाडु	1,441.03	1,637.12	1,968.76
32	तेलंगाना	688.58	1,040.61	1,054.92
33	त्रिपुरा	15.91	19.26	9.45
34	उत्तर प्रदेश	1,345.02	1,213.12	1,545.01
35	उत्तराखंड	228.09	307.60	360.76
36	पश्चिम बंगाल	571.89	782.74	862.57
37	पैन इंडिया*	5,789.58	6,104.58	6,960.21

38	अन्य केंद्रीकृत निधियाँ	1,631.01	1,145.78	1,000.83
39	एनईसी/निर्दिष्ट नहीं*	0.09	10.12	1.06
	कुल	**27,141.45**	**30,932.08**	**34,908.75**

(31.03.2025तक के आंकड़े) (स्रोत: कॉर्पोरेट डेटा प्रबंधन सेल)
*कंपनियों ने या तो राज्य/संघ राज्य क्षेत्रके नाम निर्दिष्ट नहीं किए या एक से अधिक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र का संकेत दिया जहां परियोजनाएं शुरू की गईं।

(दिनांक19.08.2025को उत्तरार्थ लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या4213के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध)

वित्त वर्ष 2021-22 से 2023-24 तक महाराष्ट्र में जिलावार सीएसआर व्यय

(राशि करोड़ में)

क्र. सं.	जिला	वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2023-24
1	अहिल्यानगर (अहमदनगर)	31.83	51.04	66.47
2	अकोला	2.43	2.59	2.32
3	अमरावती	8.93	20.83	15.51
4	बीड	11.34	16.21	13.96
5	भंडारा	2.25	5.05	5.09
6	बुलढाना	23.71	3.37	9.34
7	चंद्रपुर	22.36	34.85	27.94
8	छत्रपति संभाजीनगर (औरंगाबाद)	96.05	129.14	123.87
9	धाराशिव	12.88	26.19	33.05
10	धुले	5.03	10.64	14.91
11	गडचिरोली	18.32	14.55	70.15
12	गोंदिया	1.13	0.41	8.60
13	हिंगोली	2.63	2.31	5.34
14	जलगांव	16.36	27.59	28.03
15	जलना	14.14	21.43	19.99
16	कोल्हापुर	16.48	17.56	32.36
17	लातूर	8.10	18.69	15.21
18	मुंबई	2,980.22	2,861.07	2,814.46
19	मुंबई उपनगरीय	3.05	5.73	1.99
20	नागपुर	189.80	172.86	160.63
21	नांदेड़	6.76	8.15	9.92
22	नंदुरबार	24.92	30.37	35.66
23	नासिक	76.75	130.58	126.87
24	पालघर	6.20	5.10	5.86
25	परभनी	1.38	3.64	3.40
26	पुणे	694.62	1,096.34	1,135.14
27	रायगढ़	272.04	326.29	243.61
28	रत्नागिरि	15.69	44.66	70.21
29	सांगली	11.47	18.06	13.57
30	सतारा	40.12	67.71	69.64
31	सिंधुदुर्ग	2.34	6.37	5.40
32	सोलापुर	12.04	26.83	57.60
33	थाणे	176.76	214.01	302.68
34	वर्धा	27.70	24.03	23.34
35	वाशिम	7.02	5.00	1.84
36	यवतमाल	7.75	9.59	12.86
37	जिला वर्गीकृत नहीं	556.80	246.71	479.15
	कुल	5,407.40	5,705.54	6,065.95

(31.03.2025 तक के आंकड़े) (स्रोत: कॉर्पोरेट डेटा प्रबंधन सेल)